

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या:-09/2016/टॉक (2016/00083)

1. हरिनारायण पुत्र स्व0 मंगलराम,
2. दुर्गालाल पुत्र स्व0 मंगलराम,
3. तेजकरण पुत्र स्व0 मंगलराम,
4. सुशीलादेवी पुत्री स्व0 मंगलराम,
5. गिराज पुत्र डालूराम,
समस्त जाति रेगर, निवासी कस्बा निवाई, तह0 निवाई, जिला टॉक ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायणी पत्नि आशाराम उर्फ अशोक कुमार, जाति रेगर, निवासी हाल 16/269 एच0 हरदयाल सिंह रोड़, बापानगर, करोलबाग, नई दिल्ली ।
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच गाम पंचायत ढाणी जुगलपुरा, तहसील निवाई, टॉक ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, जिला टॉक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टॉक दिनांक 10.3.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/2009.

उपस्थित:-

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांक:-22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टॉक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.3.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों संख्या 1 नारायणी पत्नि आशाराम ने अधीन्याया के समक्ष नामांतरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पों संख्या 1 ने भूमि खसरा नंबर 2474 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2480 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा जिसमें खसरा नंबर 2474 में एक कोठी (कुआं) भी है वाके कस्बा निवाई, तह नवाई में स्थित है। उक्त भूमि रेस्पों संख्या 1 ने खातेदार नानगराम पुत्र लक्ष्मण जाति रेगर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.1.1963 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय दिनांक से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पों संख्या 1 का ही चला आ रहा है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में ग्राम पंचायत ढाणी जुगलपुरा द्वारा भूमि का नामांतरण दिनांक 17.10.1976 को स्वीकृत किया गया था किन्तु उक्त स्वीकृतशुदा नामांतरण को उसी ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण स्वीकृत करने के पश्चात् रेस्पों संख्या 1 के पीछे से काटा-फांसी कर पंचायत द्वारा ही बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से परे जाकर उक्त नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर विवादित आराजी का नामांतरण पुनः रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में भरा जावे। अधीन्याया ने निर्णय दिनांक 10.3.2015 द्वारा रेस्पों संख्या 1 की अपील स्वीकार कर रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण भरने हेतु तहसीलदार, निवाई को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। अधीन्याया के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। xx
- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 उपस्थित तथा शेष रेस्पों अनुपस्थित रहे। अधीन्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई। xx
- 3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 प्रार्थना पत्र बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटस विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है किन्तु रेस्पों संख्या 1 ने अधीन्याया में नामांतरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में पक्षकार कायम नहीं किया था जबकि अपीलांटस आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.3.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
- 4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस अधीन्याया में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.1.2016 को तब हुई जब विपक्षी के ऐजेन्ट कुछ भूमाफियाओं को लेकर विवादित भूमि पर आये और कहा कि उक्त आराजी वर्तमान में नारायणी पत्नि आशाराम के

नाम है जिसको हम क्रय करना चाहते हैं। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अधी०न्याया० के निर्णय की जानकारी प्राप्त की एवं निर्णय की प्रति हेतु दिनांक 4.1.2016 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.1.2016 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

5- प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने विवादित निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अदांज किया कि जब अधी०न्याया० के समक्ष रेस्प० संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की तो उस समय न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि वर्तमान में अपील में अंकित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कौन है, क्या उनको भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अधी०न्याया० ने मात्र रेस्प० संख्या 1 के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलांट जो कि आवश्यक पक्षकार थे उनकी पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधी०न्याया० ने इस तथ्य को भी नजरअदांज किया कि विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नानगराम पुत्र लक्ष्मण रेगर व मंगलराम पुत्र लक्ष्मण रेगर मौके पर 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। चूंकि मंगलराम व नानगराम दोनों सगे भाई थे और दोनों ने अपनी कमाई से उक्त आराजी क्रय की थी परन्तु नानगराम बड़ा भाई व कर्ता खानदान होने के कारण उक्त आराजी का विक्रय पत्र नानगराम के नाम मंगलराम ने करवा दिया तत्पश्चात् अपीलांट के पिता मंगलराम पुत्र लक्ष्मण ने अपने भाई नानगराम पुत्र लक्ष्मण के विरुद्ध उद्घोषणा का दावा न्यायालय सहायक जिलाधीश, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 30.3.1977 को डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2474 व 2480 में अंकित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मंगलराम पुत्र लक्ष्मण रेगर को घोषित किया था। वर्तमान में मंगलराम की मृत्यु होने पर अपीलांटस जो कि मंगलराम के पुत्र है विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है। अधी०न्याया० ने अपीलांटस जो कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

6- विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्प० संख्या 1 ने अधी०न्याया० के समक्ष नामांतकरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 के विरुद्ध वर्ष 2009 में लगभग 33 वर्षों की भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जो कारण अंकित किये वे उचित एवं सद्भाविक नहीं थे, इसके बावजूद अधी०न्याया० ने रेस्प० संख्या 1 के धारा 5 मियाद अधि० के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये

बिना अपील स्वीकार की है जो आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध है। विद्वान वकील अपीलांट से बहस में आगे कथन किया कि सहायक जिलाधीश, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.1977 के यथावत् रहते वर्तमान अपीलांटस का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ नहीं किया जा सकता है किन्तु अधी0न्याया0 ने नामांतरण की अपील में एक तरह से डिक्री आदेशों को ही अपास्त कर दिया है जो विधि विरुद्ध है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि समरी कार्यवाही में खातेदार को बिना सुने उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.3.2015 अपास्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 पार्ट-2 पेज 1089, आर0आर0टी0 201-12 पेज 359, आर0आर0टी0 2009 पार्ट-1 पेज 179 एवं डी0एन0जे0 2009 पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

xx

- 7- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत है। रेस्पो0 ने विवादित भूमि खातेदार नानगराम पुत्र लक्ष्मण जाति रेगर, से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.1.1963 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय दिनांक से अपीलांट ही काबिज काश्त है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 को कोरम के समक्ष प्रस्ताव पारित किया जाकर तस्दीक किया गया था किन्तु उसी ग्राम पंचायत ने रेस्पो0 संख्या 1 की पीठ पीछे से नामांतरण संख्या 984 में कांट-छांट कर अपास्त करने का नोट अंकित किया जो विधिविरुद्ध है। ग्राम पंचायत एक बार नामांतरण स्वीकृत करने के बाद स्वयं अपने स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के बिना नामांतरण को अपास्त नहीं कर सकती थी। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् विक्रेता खातेदार नानगराम के भाई मंगलराम ने एक वाद इस्तकरार हक व न्यायालय सहायक कलक्टर, टोंक के न्यायालय में कर देने से उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व जमाबंदी में नहीं हो सका था। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष विलंब के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी0 पेश कर विलंब के समुचित कारण अंकित किये थे। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।
- 8- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के साथ जवाब प्रार्थना पत्र पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने बिना किसी लोकस के अपील प्रस्तुत की है, अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से

पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। रेस्पोंडेंट ने इसी प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया अपीलांट ने ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है इसलिये अपील अंतर्गत नियम 17 रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

- 9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीन्याया के निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधीन का निस्तारण करना न्यायोचित एवं उचित समझते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलांटस विवादित भूमि खातेदार काश्तकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था। अधीन्याया ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.3.2015 पारित किया है। अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होना प्रमाणित होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अधीन्याया के निर्णय दिनांक 10.3.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जहां तक नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रस्तुत नहीं किये का प्रश्न है चूंकि नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रति अधीन्याया की पत्रावली में उपलब्ध है इसलिये प्रमाणित प्रति के अभाव में अपील अपास्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता का 17 रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के संबंध में किया गया ऐतराज निरस्त किया जाता है।
- 10- धारा 5 मियाद अधीन के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधीन्याया में प्रकरण में पक्षकार नियुक्त नहीं किया गया था जबकि अपीलांटस तत्समय विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। अपीलांटस अधीन्याया के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय की तत्समय जानकारी होना नहीं माना जा सकता है। अपीलांटस ने जानकारी के जो कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
- 11- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि मंगलराम व नानगराम, जो सगे भाई थे, की आय से कय की गई थी किन्तु नानगराम जो कि बड़ा भाई तथा कर्ता खानदान था इसलिये विक्रय पत्र नानगराम के नाम करवा दिया था किन्तु बाद में मंगलराम ने सहायक कलक्टर, टोंक के न्यायालय में इस्तकरार हक का वाद प्रस्तुत किया जिसमें सहायक कलक्टर, टोंक ने निर्णय दिनांक 30.3.1977 द्वारा मंगलराम को विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया था। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामांतरण भी दिनांक 10.7.1977 को अपीलांटस के पिता मंगलराम के नाम अंकित किया गया था। अधीन्याया ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलांटस, जो कि विवादित भूमि के

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को पक्षकार नियुक्त किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर विवादित भूमि का नामांतरण रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसके विपरीत रेस्पों संख्या 1 का कथन है कि रेस्पों संख्या 1 ने विवादित भूमि तत्कालीन खातेदार नानगराम से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था किन्तु उसी ग्राम पंचायत ने नामांतरण संख्या 984 को रेस्पों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अस्वीकृत कर दिया जो विधि विरुद्ध है ।

- 12- इस संबंध में अधीन्याया की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया । रेस्पों संख्या 1 नारायणी ने तत्कालीन खातेदार नानगराम से विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 14.5.1976 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण संख्या 984 दिनांक 17.10.1976 को स्वीकृत किया गया है तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा ही उक्त नामांतरण संख्या 984 को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि नानगराम पुत्र लक्ष्मण रेगर में सरकारी बकाया है, अगर भूमि के बैचान हो जाता है तो बाद में बकाया रकम वसूल होना असंभव होगा । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त परिस्थितियों में नामांतरण निरस्त किया गया है । उक्त नामांतरण अस्वीकृत होने से विवादित भूमि पुनः विक्रेता नानगराम के नाम दर्ज हो गई थी । इसी प्रकार सहायक कलक्टर, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.1977 से विवादित भूमि में भूमि के विक्रेता नानगराम के भाई मंगलराम को भी 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । अर्थात् उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार विवादित भूमि का खातेदार अकेला नानगराम न होकर उसका भाई मंगलराम भी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था । अधीन्याया के निर्णय के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधीन्याया ने समरी कार्यवाही के प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार नानगराम व मंगलराम को, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, पक्षकार कायम किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । दौराने बहस अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि रेस्पों संख्या 1 द्वारा अधीन्याया के समक्ष 33 वर्षों के भारी विलंब के बाद अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधीन्याया ने विलंब के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबंध में हमने आदेश 41 नियम 3-ए जा0दी0 एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । आर0आर0टी0 2011-12 (सप्लीमेंट्री) पेज 360 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 के अंतर्गत आदेवन को निर्णित किये बगैर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि आदेश 41 नियम 3-ए के प्रावधान आज्ञापक

है । उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अधी०न्याया० द्वारा अपने निर्णय से पूर्व रेस्पों संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि 33 वर्षों के भारी विलंब को क्षम्य किये जाने के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचन किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय को आदेश 41 नियम 3-ए जा०ए० के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलांटस का विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के बावजूद रेस्पों संख्या 1 ने नामांतरण की अपील में अधी०न्याया० के समक्ष पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे अपीलांटस अधी०न्याया० के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है । इस तरह विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० का यह दायित्व था कि प्रकरण में विवादित भूमि के दर्ज रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार कायम करने हेतु रेस्पों संख्या 1 को आदेश प्रदान कर, खातेदार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते किन्तु अधी०न्याया० ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय दिनांक 10.3.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 09/2016 (2016/00083) बउनवानी हरिनारायण बनाम नारायणी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, निवांई द्वारा प्रकरण संख्या 5/2009 बउनवान नारायणी बनाम ग्राम पंचायत में पारित निर्णय दिनांक 10.3.2015 अपास्त किया जाता है तथा निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांटस को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त कर, धारा 5 मियाद अधि० के प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे
इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर